

Form No.III




फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

मुकाम श्रीडूंगरगढ
मोमिन अली वगै. पुत्र / पुत्रिया चिराग रोशन जाति दगागी निवासीगण सूडसर तहसील
श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम इब्राहिम खां वगै

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 103/2023

U/S 88,53,188 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
31.07.2023	<p>आज यह वाद मोमिन अली वगै. ने जरिये श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी समन तलब कर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.08.2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ </p>	
23.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पत्र द्वारा काय स्थगित रखा गया है। पत्रावली पर तलब Reg. AD, आयन्दा दिनांक <u>26.10.2023</u> को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
13.10.2023	<p>आज यह पत्रावली वादीगण ने परिचय अधिवक्ता प्रो.पत्र पत्रावली पेश करने में लगे ज उल्लेख करने पर पेश में लगे वादीगण ने उभरना पत्र उल्लेख करने के बख्त किमा जमा कि पत्र कारण के बख्त लगे अदालत के आवना से शायनामा है। जज व उभरना वादीगण अपरोन्त उभरना में आगे किमा उभरना जमा किमा नहीं चले है। तथा अपने दावे को सिद्ध करते हैं। अतः उभरना वादीगण द्वारा उल्लेख जमा पत्र के आवना पर वादी वाद परिचय सिद्ध करने में खारिज किमा जात है। पत्रावली वाद तहसील प्रो.पत्र अधिवक्ता नम्बर दोन्त दाखिल दफ्तरे है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>प्रतिवादी 3 मो.सैतु प्रतिवादी 1, 2 प्रतिवादी 4 प्रतिवादी 5 K. K. Sharma</p> 